न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्री मोहम्मद ताहीर R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसल
17/प्रा0पत्र/2018	22.03.2018	02.08.2019

सविता शर्मा पत्नी पुरूषोत्तम शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ग्राम सीन्ता तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)

...प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

.........अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ताप्रार्थीः– श्री लीलाधर सिंह

अधिवक्ता अप्रार्थीगणः–

– : : निर्णय : : –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 136 भू–राजस्व अधिनियम

संक्षेप में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किये किः–

1. यह की भूमि ख0सं0 399/38 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम खेडला पटवार क्षेत्र जमीतपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0) में विस्थित है जिसमें से प्रार्थीया सविता शर्मा पत्नी श्री पुरूषोत्तम शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ग्राम सीन्ता ने भूमि खरीद दखी है जो वर्तमान जमाबन्दी में हिस्सा 63933/90225 वर्गफीट दर्ज है।
2. यह कि ख0सं0 38 वर्तमान नक्शा ट्रेस में दर्शित हो रहा है एवं ख0सं0 38 के सहारे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 गुजर रहा है उक्त रा0रा0 मार्ग व ख0सं0 38 के मध्य दुकाने व मकानं बने हुये थे जो वर्तमान में रा0रा0मार्ग की अधिक ग्रहित सीमा 30 मीटर के अन्तर्गत आ रहे है।
3. यह कि ख0सं0 398/38 व ख0सं0 403/38 व ख0सं0 400/38 पर दुकाने रा0 राज मार्ग की अधिग्रहित सीमा में आ चुकी है जिसमें से ख0सं0 403/38 कान्ता बाई पत्नी बद्री लाल जाति धाकड निवासी केथूदा का भूखण्ड 42.5, गुणा 12 वर्गफीट शेष बचा हुआ है अन्य ख0सं0 की भूमि रा0राज मार्ग में अधिग्रहित सीमा 30 मीटर के अन्तर्गत आकर अधिग्रहित हो चुकी है।
4. यह कि ख0सं0 405/38 रकबा 1 बिस्वा रामचन्द्र आ0 रामकरण जाति दाधीच ब्राहमण निवासी ग्राम नोताडा एवं ख0सं0 403/38 रकबा 3 बिस्वा, कान्ता बाई पत्नी बद्री लाल जाति धाकड निवासी ग्राम केथूदा के संबंध में तहसीलदार साहब बून्दी के द्वारा दिनांक 18.12.2017 को मौका रिपोर्ट देखकर मौका रिपोर्ट बनाई गई जिसमें खातेदार रामचन्द्र की 1 बिस्वा भूमि रा0रा0 मार्ग की 30 फीट सीमा के अन्तर्गत आना पाया गया इसी प्रकार खातेदार कान्ता बाई की भूमि 42.5 गुणा 60 वर्गफीट में से केवल 42.5 गुणा 12 वर्गफीट भूमि रा0रा0 मार्ग की आवाप्ति के बाद शेष रही। ख0सं0 38 में उक्त खातेदारान की दुकाने व भूमि नही आती है फिर भी वर्तमान नक्शा ट्रेस में 398/38, 403/38, 400/38 ख0नं0 की भूमि को दुकानों के रूप में ख0सं0 38 की भूमि के नक्शा ट्रेस में बिना अधिकार के ही पूरी दुकानों व भूमि को तरमीम कर दिया गया जो गलत व अवैधानिक है एवं तरमीम में त्रुटि की श्रेणी में आती है जिसे त्रुटि सुधार कर उक्त तरमीम को निरस्त करके मौके पर जांच करके नये सिरे से तरमीम किये जाने व तरमीम को सही व शुद्ध किये जाने का आदेश प्रतिवादी को दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है ताकि मौके पर अनावश्यक विवाद नहीं हो एवं प्रार्थीया की उपस्थित में व प्रार्थीया की सहमति से

उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी

तरमीम नही की गई है। तरमीम को प्रार्थीया की उपस्थिति में किये जाने का आदेश दिया जावे एवं तहसीलदार तालेडा को आदेश दिया जावे कि टीम गठित करके मौके पर नये सिरे से जांच करके मौका रिपोर्ट दिनांक 18.12.2017 के अनुसार तरमीम किये जाने का आदेश प्रतिवादी को दिया जावे एवं तरमीम की रिपोर्ट तलब की जाकर उक्त खसरा सं0 38 में गलत रूप से की गई तरमीम की त्रुटि को सुधार कर सही करने का आदेश प्रतिवादी को दिया जावे।

5. यह कि उक्त ख0सं0 38 में वर्तमान में हो रही तरमीम गलत तरीके से की गई है जो कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रभाव में आकर गलत रूप से की गई है जिसे सही किया जाकर नये सिरे से रिपोर्ट मंगवाकर तरमीम करवाये जाने का आदेश तहसीलदार तालेडा को दिया जाना आवश्यक है।
6. यह कि उक्त प्रार्थना पत्र व कार्यवाही हेतु वाद कारण जब प्रार्थीया को इस संबंध में नक्शा ट्रेस की नकल प्राप्त करने पर जानकारी हुई तब से उक्त कार्यवाही अन्तर्गत अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना की कार्यवाही/प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ख0सं0 38 ग्राम खेडला तहसील तालेडा में की गई गलत तरमीम ख0सं0 398/38, 403/38, 400/38 की त्रुटि सुधार की जाकर प्रतिवादी से मौके की जांच करवाई जाकर नये सिरे से सही तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की और से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की बिन्दु सं0 1 स्वीकार है। छायाप्रति जमाबन्दी संवत् 2073-76 संलग्न है। बिन्दु सं0 2 आंशिक स्वीकार है के लिए नक्शे की छायाप्रति संलग्न है। बिन्दु सं0 3 स्वयं द्वारा सक्षम न्यायालय में सिद्ध करना है। बिन्दु सं0 4 व 8 तक सक्षम न्यायालय का है। प्रार्थीया द्वारा ग्राम खेडला के ख0सं0 38 में की गई तरमीमों को गलत बताते हुए त्रुटि सुधार कर नय सिरे से तरमीम करवाने हेतु प्रार्थना की है। रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पेश है।

साक्ष्य में प्रार्थी की और से नकल जमाबन्दी खाता सं0 7 ग्राम खेडला संवत् 2073-76 , तहसीलदार मौका कमिश्नर रिपोर्ट ग्राम खेडला दिनांक 8.6.2018, मौका रिपोर्ट 18.12.2017, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम खेडला की प्रतियाँ पेश की।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत तहसीलदार मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार मुताबिक रिकार्ड जमाबन्दी ख0सं0 38 का सम्पूर्ण रका 13-02 बीघा है जो वर्तमान में 15 खसरा सख्या में विभक्त है, जिसमें से 5 खसरा कुल रकबा 5-12 राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम है एवं शेष 10 खसरा खातेदारी में दर्ज है। ख0सं0 398/38 रकबा 3-19 बीघा भारत सरकार एवं यातायात विभाग के नाम दर्ज रिकार्ड है। ख0सं0 399/38 रकबा 5-09 बीघा अयाजुद्धीन वल्द निजामुद्धिन कौम लुहार सा0 तालेडा हिस्सा 1380/90225 वर्ग फुट धन सिंह वल्द गोविन्द सिंह हि0 8889/90225, रूपकंवर पत्नी गोविन्द सिंह हि0 4263/90225 कौम राजपूत सा0देह, नसीब कौर पत्नि मेजा सिंह कौम जट सिक्ख सा0 अल्फानगर हि0 1800/90225 वर्ग फुट, गुरूमेत सिंह वल्द हरबंस सिंह कौम सिक्ख सा0 बक्षपुरा हि0 1500/90225 वर्ग फुट, मलविन्दर कौर पत्नि जसविन्द्र सिंह कौम सिक्ख सा0 बाजड तह0 बून्दी हि0 1520/90225 वर्गफुट, रणजीत सिंह उर्फ राणा वल्द भजन सिंह कौम सिक्ख साकेन बक्षपुरा हिंस्सा 1520/90225 वर्ग फुट, गुरूतेजप्रीत सिंह आ0 अमरीत सिंह, सुखविन्द्र कौर, राजविन्द्रर कौर, पलविन्दर कौर, जसविन्दर कौर, वीरपाल कौर, कंवरजीत कौर पुत्रियां अमरीत सिंह, लखविन्द कौर धर्म पत्नि स्वं0 अमरीत सिंह हिस्सा 1800/90225 वर्ग फुट कौम सिक्ख सा0 बाजड, करामत अली वल्द छीतर कौम मुसलमान सा0 खेरोली हि0 900/90225 वर्ग फुट, महादेव वल्द धन्ना लाल कौम रेगर सा0 नौताडा भौपत हि0 900/90225 वर्ग फुट, शम्भुदत्त वल्द परमानन्द कौम ब्राहमण सा0 बरूधन हि0 1800/90225 वर्गफुट, सविता शर्मा पत्नि पुरूषोत्तम शर्मा सा0 सीन्ता हि0 63933/90225 वर्गफुट खातेदार दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी

ख0सं0 400/38 रकबा 0–02 बीघा भीशंकर आ0 प्रभु लाल कौम पालीवाल सा0 डगलावदा खातेदार दर्ज रिकार्ड है। खसरा सं0 403/38 रकबा 0–03 बीघा कान्ता बाई पत्नी बद्री लाल मालव कौम धाकड सा0 कैथूदा दर्ज रिकार्ड है, इनकी रजिस्ट्री का अवलोकन करने पर भूमि का नाप $42\frac{1}{2}$ वर्ग फुट अंकित है। मौके पर रा0राजमार्ग के मध्य से 30 मीटर छोडने पर खातेदार के कब्जे की भूमि $42\frac{1}{2}$ वर्ग फुट शेष है। किन्तु राजस्व रिकार्ड में वर्तमान में भी 0–03 बीघा पर खातेदार दर्ज होना बताया है। अतः तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार विवादित भूमि व मौके की जांच कर नये सिरे से तरमीम कर इन्द्राज दुरुस्त करे।

यह निर्णय आज दिनांक 2.08.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी